आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.05.2020		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–73/2019

हीरालाल मुंशी —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचॉची अंचल अन्तर्गत मौजा–नेपईडीह, थाना नं0–161, खाता नं0– प्लॉट नं0–2/1, रकवा–0.0253 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–32 के 4 लेनों के चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि अन्तर्गत मौजा–नेपईडीह, थाना नं0–161, खाता नं0– प्लॉट नं0–2/1, रकवा–0.0253 एकड़ जमीन भू–अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त भूमि में अवस्थित मकान का एवार्ड के अनुसार मुआवजा राशि 11,83,816.00 रू0 बना था, परन्तु जिला भू–अर्जन कार्यालय, धनबाद द्वारा 10,09,552.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। साथ ही उक्त भूमि आवासीय भूमि है। आवेदक द्वारा अन्तर राशि एवं भूमि का आवासीय दर पर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही 20/22 कारगेट का कमरा एवं 12/12 का ढ़लाई का कमरा, दोनों कमरा का नापी में छुट गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा मुआवजा राशि सही आकलन कर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन, पदाधिकारी, धनबाद/NHAI को निदेश दिया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का वास्तविकता का जॉच करते हुए मापी कर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। साथ ही वास्तविक संरचना स्थित रहने वाले हिस्से के भूखण्ड का मुआवजा आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर नियमानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि निर्मित संरचना एवं उसके वास्तविक क्षेत्रफल की जाँच करते हुए पुर्नगणना के आधार पर उक्त आवासन से संबंधित आंशिक भूखण्ड के मुआवजा का भुगतान आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करायें। शेष आवास रहित खाली पड़े भूमि के विरूद्ध किये गये मुआवजा भुगतान के संबंध में अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तद्नुसार वाद को निस्तार किया जाता है। तद्नुसार वाद को निस्तार किया जाता है।

29/5/20
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

29/5/20
अपर समाहर्त्ता,
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।